तक अनुमोदित कर दिया जाएगा?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम आबादी वाले शहरों के लिए 342.12 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए यू डब्ल्यू एस पी) के तहत राजस्थान सरकार ने 3 स्कीमें भेजी हैं जो केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए जांचाधीन है। स्कीमों के विवरण इस प्रकार हैं:—

क्र०सं०	शहर का नाम	जिला	आबादी	परियोजना लागत (लाख रु० में)
1.	मनोहर थाना	झालवार	7156	128.07
2.	बागु	जयपुर	15509	134.09
3.	पांवरी	सिरोही	9091	79.20
			योग	342.12

(ख) ए यू डब्ल्यू एस कार्यक्रम के तहत स्कीमों का अनुमोदन शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के लिए केन्द्रीय योजना के तहत कार्यक्रम के लिए निधियों का नियमन और स्कीमों की प्रौद्यो-आर्थिक की व्यवहार्यता पर निर्भर करेगा।

प्रत्येक नागरिक के लिए आवास एवं आवासीय भूखंड

906. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के शहरी क्षेत्रों में आवास एवं आवासीय भूखंडों की आवश्यकता के संबंध में कोई सर्वेक्षण करवाया है, यदि हां, तो यह कब कराया गया था;

(ख) शहरी क्षेत्र में कुल कितने इच्छुक लोग आवास तथा भूखंड विहीन हैं तथा राजस्थान में इनकी संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने प्रत्येक नागरिक के परिवार को आवास या आवासीय भूखंड देने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) देश में शहरी क्षेत्रों में मकानों और रिहायशी प्लाटों की आवश्यकताओं का आंकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया। तथापि 1991 की जनगणना के अनुसार वर्ष 1991 में देश के शहरी क्षेत्रों में 8.23 मिलियन आवास की कमी थी। एन बी ओ के आंकलन के अनुसार 2001 तक 6.64 मिलियन हो जाएगी।

(ख) 1991 की जनगणना के अनुसार देश में शहरी क्षेत्रों में आवास रहित परिवारों की संख्या 2.17 लाख थी जबकि राजस्थान में यह केवल 8000 थी।

(ग) और (घ) शासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा के अनुसार गरीबों और असहायों पर विशेष ध्यान देते हुए प्रत्येक वर्ष 2 मिलियन अतिरिक्त मकानों का निर्माण किया जाना है। इसमें से 7 लाख रिहायशी मकान शहरी क्षेत्रों में बनाए जाएंगे।

कानपुर में गंगा नदी पर बहुउद्देश्यीय परियोजना

907. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री 6 जुलाई, 1998 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 2275 के दिये गये उत्तर को देखें और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने योजना आयोग के अनुमोदन के बाद कानपुर में गंगा नदी पर बहु-उद्देशीय परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) क्या लागत का 50 प्रतिशत व्यय केन्द्र द्वारा वहन करने के विषय में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया है; और

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र द्वारा दी जाने वाली धनराशि का प्रावधान करना शुरू कर दिया है;

यदि हां, तो वह कार्य कब तक सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगा; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, नहीं।

(ख) लागत का 50% वहन करने का कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है तथापि सैद्धान्तिक रूप से योजना आयोग ने इस बात की संभावना व्यक्त की थी राशियां स्वीकृत की जा सकती हैं बशर्ते कि उत्तर प्रदेश सरकार 1994-95 से आगे योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की जाने वाली राशि के बराबर बजट प्रावधान की व्यवस्था करें।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि इस परियोजना के लिए राशि का प्रावधान कर लिया गया है। तथापि कार्य की सुचारू प्रगति के संबंध में राज्य सरकार से कोई सूचना नहीं मिली है।

Regularisation of the sale of plots by DDA, MCD etc.

908. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether DDA, MCD, Land & Development Office and other agencies have regularised the sale of plots/houses of General Power of Attorney holders in Delhi by allowing conversion from leasehold to freehold in the names of General Power of Attorney holders;

(b) if so, the reasons for not allowing conversion so far by the Department of Rehabilitation to the Power of Attorney holders having plots in Rehabilitation Ministry Employees Cooperative House Building Society Ltd., Shivalik, New Delhi from leasehold to freehold basis; and

(c) by when the process of conversion from leasehold to freehold will commence in the said society?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The Department of Rehabilitation could not take up the conversion cases for the reason that a proposal for transfer of work pertaining to the Rehabilitation Ministry Employees Cooperative House Building Society, Ltd., Shivalik, New Delhi, to the Ministry of Urban Affairs & Employment was under consideration. The work pertaining to the said society has been transferred to the L&DO in October, 1998. All the pending applications for conversion from leasehold to freehold will be processed by Land and Development Office as per prevalent policies/instructions applicable in such cases.

Election of the Office Bearers of Shivalik Group Housing Society Ltd.

909. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether the elections to the office-bearers of Rehabilitation Ministry Employees Cooperative Group Housing Society Ltd., Shivalik, New Delhi are being conducted regularly in accordance with the instructions/rules of the Registrar of Cooperative Societies;

(b) if so, the number of members who have voted for various posts of the society in the last three elections;

(c) whether members who have sold their plots have also participated in the elections; and

(d) if so, in what manner their votes have been managed and whether Government propose to enquire into the mis-management of elections to the society and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI RAM JETHMALANI): (a) Registrar, Co-operative Societies (RCS) Government of National Capital Territory of Delhi, has informed that as per the provisions of the Delhi